भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित गजट के हिन्दी संस्करण का प्रकाशन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-3

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संख्याः-01/2025/705/सैंतीस-3-2025-2(04)/17/(37-3099/100/2021)

लखनऊः दिनांक 04 जुलाई, 2025

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली, 2025

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह 'ग' एवं 'ख' के तकनीकी पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं 3. जब तक विषय या सन्दर्भ मे कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एंव अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है।

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य वेटनरी फार्मासिस्ट के मामले में अपर निदेशक ग्रेड-II, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश से तथा चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (वेटनरी फार्मेसी) के मामले में निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश से है।

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(घ) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है।

(ड़) ''संविधान'' से तात्पर्य भारत का संविधान से है।

(च़) ''निदेशक'' का तात्पर्य निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशु पालन विभाग उत्तर प्रदेश तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अपर निदेशक ग्रेड-II का तात्पर्य मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-II, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश से है।

(छ) ''वेटनरी फार्मेसी में डिप्लोमा'' का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय (जहाँ वेटनरी फार्माकोलॉजी/वेटनरी फार्मेसी संकाय/विभाग विद्यमान हो)/वेटनरी विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण का दो वर्ष तीन माह का डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(ज) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(झ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(ञ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

(ट) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक मे विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।

(ठ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा से है।

(ड) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

(ढ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग- दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या एवं उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, उतनी होगी जितनी नीचे दी गई है:-

क्र0 सं0	पदों का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल योग
1.	वेटनरी फार्मासिस्ट	1727	232	1959
2.	चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट	49	0	49
3.	प्रभारी अधिकारी (वेटनरी फार्मेसी)	0	23	23
कुल योग		**1776**	**255**	**2031**

परन्तुः यह किः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नही होगा। या

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जैसा वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत **5.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी।

1. वेटनरी फार्मासिस्ट	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
2. चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट	मौलिक रूप से नियुक्त वेटनरी फार्मासिस्टों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ (8) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
3. प्रभारी अधिकारी (वेटनरी फार्मेसी)	मौलिक रूप से नियुक्त चीफ वेटनरी फार्मासिस्टों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ (8) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण **6.** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एंव अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम-1993, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा के अनुसार (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार- अर्हतायें

राष्ट्रीयता **7.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः-

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, यूगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा मे इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः- ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हों किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता **8.** वेटनरी फार्मासिस्ट के पद पर सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए-

(एक) हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा (जीव विज्ञान) या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/संस्था से वेटनरी फार्मेसी में 02 वर्ष 03 माह का डिप्लोमा।

(तीन) सक्षम परिषद् या संस्थान (यदि उपलब्ध हो) में पंजीकृत होना चाहिए।

(2) देव नागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान।

अधिमानी अर्हता **9.** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु **10.** (एक) सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र **11.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हों। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

होंगे, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति **12.** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हों।

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकती है यदि उनको यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता **13.** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने मे बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-3 के अध्याय-3 में अन्तर्विष्ट फण्डामेंटल रूल्स 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

<u>भाग-पाँच-भर्ती की प्रक्रिया</u>

रिक्तियों का अवधारण **14.** नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा एवं उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया **15.** वेटनरी फार्मासिस्ट के पद पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश समूह ''ग'' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 तथा समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार की जायेगी।

विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया **16.** (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों के लिये नियमावली-1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली-1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी।

टिप्पणीः- चयन समिति में नागरिकों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन किये गये आदेशों के, अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयोन्नति पात्रता सूची नियमावली-1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो जिसमें उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग-छह-नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (एक) नियुक्ति प्राधिकारी, चयनित अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे, यथा स्थिति, नियम-15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(दो) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये गये हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसा चयन में अवधारित किया गया हो।

प्रशिक्षण

18. वेटनरी फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी से ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाय, एक वर्ष की अवधि के लिए किये जाने की अपेक्षा की जायेगी।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली-2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हो तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धाराणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें उपनियम (2) के अधीन समाप्त की जाये किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

20. (1) नियम (19) के उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि में, उसको नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा। यदि-

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली-1991 के समय-समय पर यथा संशोधित, उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम-3 के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता **21.** सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-सात-वेतन इत्यादि

वेतनमान **22.** (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय में वेतनमान नीचे दिये गये हैं:-

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान
1	2	3
1.	वेटनरी फार्मासिस्ट	वेतन मैट्रिक्स लेवल-5, 29200-92300
2.	चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट	वेतन मैट्रिक्स लेवल-7, 44900-142400
3.	प्रभारी अधिकारी (वेटनरी फार्मेसी)	वेतन मैट्रिक्स लेवल-8, 47600-151100

परिवीक्षा अवधि में वेतन **23.** (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोष जनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया हो:-
परन्तु यह कि यदि संतोषजनक सेवायें प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि मे वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा,

परन्तु यह कि यदि संतोषजनक सेवायें प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुंसगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भाग-आठ-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन **24.** किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य मामलों का विनियमन **25.** ऐसे मामलों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों से आच्छादित न हो, सेवा में नियुक्ति व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगें।

सेवा की शर्तों से शिथिलता **26.** जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय, कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम को प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ उस मामले में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अध्यधीन जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति **27.** इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

अमित कुमार घोष,
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English **translation of notification no. 01/2025/705/सैंतीस-3-2025-2(04)/17/(37-3099/100/2021) dated 04 July, 2025**

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
ANIMAL HUSBANDRY SECTION -3

NOTIFICATION

Miscellaneous

No…01/2025/705/सैंतीस-3-2025-2(04)/17/(37-3099/100/2021)
Dated Lucknow…04 July, 2025

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Animal Husbandry Department Veterinary Pharmacist Service:

THE UTTAR PRADESH ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT VETERINARY PHARMACIST SERVICE RULES, 2025.

PART - I - GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Animal Husbandry Department Veterinary Pharmacist Service rules 2025
(2) they shall come into force at once.

Status of the service

2. The Uttar Pradesh Animal Husbandry Department Veterinary Pharmacist Service is a service comprising of Group 'C' & 'B' Technical posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:
(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;
(b) "appointing" authority in respect of the post of Veterinary Pharmacist, means the Additional Director grade-II Animal Husbandry Department U.P. and in respect of Chief Veterinary Pharmacist and Prabhari Adhikari (Veterinary Pharmacy) means Director Administration & Development, Animal Husbandry Department U.P.
(c) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution
(d) "Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission.
(e) Constitution' means the Constitution of India;
(f) 'Director' means the Director, Administration and

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Development, Animal Husbandry Department Uttar Pradesh and Additional Director grade-II mean divisional Additional Director grade-II Animal Husbandry Department U.P

(g) 'Diploma in Veterinary Pharmacy' means, Such candidate who obtained Diploma Certificate after Two years Three months Training from any University (Where Veterinary Pharmacology / Veterinary Pharmacy Faculty / Department exists) / Veterinary University established by law in India.

(h) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh

(i) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh

(j) 'member of service' means a person, substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service.

(k) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time

(l) 'service' means the Uttar Pradesh Animal Husbandry Department Veterinary Pharmacist Service

(m) 'substantive appointment' means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(n) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year

PART II – CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts there in shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1) be as given below:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

S. N0.	Name of posts	Number of posts		
		Permanent	Temporary	Total
1	Veterinary Pharmacist	1727	232	1959
2	Chief Veterinary Pharmacist	49	0	49
3	Prabhari Adhikari (Veterinary Pharmacy)	0	23	23
4	Total	**1776**	**255**	**2031**

Provided that:-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART – III - RECRUITMENT

5-Source of recruitment

Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:

(1) Veterinary Pharmacist

By direct recruitment through the Commission.

(2) Chief Veterinary Pharmacist

By Promotion from amongst substantively appointed Veterinary Pharmacists, who have completed 8 (Eight) years' service as such on the first day of the year of recruitment through Departmental Selection Committee.

(3) Prabhari Adhikari (Veterinary pharmacy)

By promotion from amongst substantively appointed Chief Veterinary Pharmacists who have completed 8 (Eight) years service as such on the first day of the year of recruitment through Departmental Selection Committee.

Reservation **6.**

Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-service men) Act, 1993, and also in accordance with Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Section) Act, 2020 as amended from time to time and the orders of government in force at the time of the requirement.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

PART-IV- QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee, who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government;

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh.

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one years and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE – A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification

8. A candidate for direct recruitment to the post of Veterinary pharmacist in the service must possess the following qualification:

(i) Must have passed the Intermediate Examination (Biology) of the Board of High School And Intermediate Education Uttar Pradesh or an Examination recognized by the Government as equivalent thereto.

(ii) Two years, three months Diploma in Veterinary pharmacy from a University/ Institution established by

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

law in India.

(iii) Registered in competent Council or Institution (if available).

(2) knowledge of the Hindi in Devnagri Script.

Preferential Qualification 9. A candidate who have:-

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a B certificate of National cadet corps,

shall, other things being equal, be given preference in the matter direct recruitment.

Age 10. (i) A candidate for direct recruitment must have attained the age of Eighteen years and must not have attained the age of more than fourty years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment has been advertised:

provided that the upper age limit in the case of belonging to the Schedules Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character 11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE: Persons dismissed by the Union Government or State Government or a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall be ineligible for the appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status 12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service;

provided that the Government may if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness 13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shall be required to produce a Medical Certificate of fitness inaccordance with the rules framed under Fundamental rule10, contained in Chapter III of the Financial Hand-Book Volume II, Part III: Provided that a Medical Certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V –PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of Vacancies

14. The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

Procedure for direct recruitment

15. Direct recruitment to the post of veterinary pharmacist in the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct recruitment to Group "C" posts (Mode and Procedure) Rules, 2015 as amended from time to time.

Procedure for recruitment by Promotion through the Departmental Selection Committee

16. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time through the selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for posts outside the purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

Note- Nomination of the officers for giving representation to the Scheduled Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes of citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2), and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

PART – VI- TRAINING, APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment 17. (i) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list, prepared under rules 15 or 16 as the case may be.

(ii) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of persons in order of seniority as determined in the selection.

Training 18. A candidate appointed for the post of Veterinary Pharmacist shall be required to undergo such training as prescribed by the Government from time to time for a period of one year.

Probation 19. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation as per Uttar Pradesh Government Servant Probation Rule 2013. as amended from time to time.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(3) A probationer whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation 20. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) of a rule(19)a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-

(a) he has successfully undergone the prescribed training

(b) his work and conduct is reported to be satisfactory

(c) his integrity is certified and

(d) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation .

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, as amended from time to time, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

21. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 as amended from time to time.

PART – VII – PAY ETC.

Scales of Pay

22. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows;

S. N0.	Name of the post	Scale of pay
1	2	3
1.	Veterinary Pharmacist	Pay matrix level-5, 29200-92300
2.	Chief Veterinary Pharmacist	Pay matrix level-7, 44900-142400
3.	Prabhari Adhikari (Veterinary Pharmacy)	Pay matrix level-8, 47600-151100

Pay during Probation

23. (1) Not with standing any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service shall be allowed his first increment when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two year's service when he has completed the probation period and is also confirmed.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction. Such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction. such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART – VIII- OTHER PROVISIONS

Canvassing	24.	No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.
Regulation of other matters	25.	In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulation and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.
Relaxation from the service condition	26.	Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, not with standing anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner
Savings	27.	Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

Amit Kumar Ghosh,
Principle Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।